**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1011**

**बुधवार,19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र**

**1011. डा. शशिकला पुष्पा रामास्वामीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में कतिपय क्षेत्रों/प्रांतों को ''औद्योगिक रूप से पिछडे़ क्षेत्र''

के रूप में अभिचिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ''औद्योगिक रूप से पिछडे़ क्षेत्र'' के रूप में अभिचिह्नित क्षेत्रों/प्रांतों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर.चौधरी)**

**(क) से (ङ):** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जम्‍मू एवं कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के उद्योगों के लिए निम्‍नलिखित प्रोत्‍साहन स्‍कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

1) जम्‍मू एवं कश्‍मीर के लिए स्‍कीम में (i) केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्‍साहन (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है), (ii) केंद्रीय ब्‍याज प्रोत्‍साहन (5 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी पर 3 प्रतिशत ब्‍याज) और (iii) केंद्रीय व्‍यापक बीमा प्रोत्‍साहन (5 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति) का प्रावधान है। यह स्‍कीम दिनांक 15.06.2017 से दिनांक 31.03.2022 तक लागू है।

2) हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड के लिए स्‍कीम में (i) केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्‍साहन (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है) (ii) केंद्रीय व्‍यापक बीमा प्रोत्‍साहन (5 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति) का प्रावधान है। यह स्‍कीम दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2022 तक लागू है।

3) सिक्किम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए स्‍कीम में (i) केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्‍साहन (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है), (ii) केंद्रीय ब्‍याज प्रोत्‍साहन (5 वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी पर 3 प्रतिशत ब्‍याज) (iii) केंद्रीय व्‍यापक बीमा प्रोत्‍साहन (5 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति), (iv) 5 वर्ष के लिए आयकर में केद्र सरकार के हिस्‍से की प्रतिपूर्ति, (v) 5 वर्ष के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के केंद्र सरकार के हिस्‍से की प्रतिपूर्ति, (vi) रोजगार प्रोत्‍साहन जिसके तहत पीएमआरपीवाई में नियोक्‍ता के कर्मचारी पेंशन स्‍कीम (ईपीएस) में 8.33 प्रतिशत के सरकारी योगदान के अलावा ईपीएफ में नियोक्‍ता का 3.67 प्रतिशत का योगदान और (vii) इकाई स्‍थल के निकटतम स्‍टेशन/ पत्‍तन/ हवाई अड्डे से गंतव्‍य स्‍थल के निकटतम स्‍टेशन/ पत्‍तन/ हवाई अड्डे तक तैयार सामान की रेलवे (परिवहन की 20 प्रतिशत लागत), अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (परिवहन की 20 प्रतिशत लागत) और हवाई मार्ग (हवाई मालभाड़े की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत) द्वारा आवाजाही संबंधी प्रोत्‍साहन का प्रावधान है।

इसके साथ ही, इस योजना के तहत एक इकाई 200 करोड़ रुपए तक के कुल लाभ प्राप्‍त कर सकती है।

4) जम्‍मू एवं कश्‍मीर, उत्‍तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में अवस्थित उन पात्र इकाइयों को बजटीय सहायता स्‍कीम में वस्‍तु एवं सेवा कर व्‍यवस्‍था के अंतर्गत उन औद्योगिक इकाइयों को शेष अवधि के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र सरकार के जीएसटी प्रतिपूर्ति लाभ प्राप्‍त होते हैं जो जीएसटी-पूर्व व्‍यवस्‍था में उत्‍पाद कर से छूट का लाभ प्राप्‍त कर रही थीं। यह योजना दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2027 तक लागू हैं।

5) इसके अलावा, डीआईपीपी देश में औद्योगिक पार्कों/ एस्‍टेट/ क्षेत्रों में सामान्‍य औद्योगिक अवसंरचना के उन्‍नयन के लिए ‘संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना (एमआईआईयूएस)’ भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें एनईआर सहित पिछड़े क्षेत्रों की ग्रीनफील्‍ड परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत, विभिन्‍न राज्‍यों में 21 परियोजनाएं कार्यान्‍वयन के अधीन हैं/ पूरी हो चुकी हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, मिजोरम और त्रिपुरा की छ: परियोजनाएं शामिल हैं।

\*\*\*\*\*